तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4440/2004/नागौर सरकार बनाम हनीफ खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 01.12.2020

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-06-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 14-05-2002 से अन्य आराजी के साथ खसरा नम्बर 379 में से 13बीघा भूमि गैर मुमकिन अंगोर से खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत राजकीय महिला कॉलेज, नागौर को निःशुल्क आवंटन किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर उसकी खातेदारी की आराजी 10बीघा भूमि बाबत् स्थाई व्यादेश जारी करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19-06-2004 से आंशिक स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी के कब्जे की खसरा नम्बर 379 की 10बीघा भूमि में दखल करने व कराने से जरिये स्थाई व्यादेश से रोका जाता है, का आदेश पारित किया। इसी निर्णय से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4440/2004/नागौर सरकार बनाम हनीफ खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 या आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 379 की 13बीघा भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन अंगोर थी, की किस्म बदलकर राज्य सरकार की स्वीकृति की अनुपालना में राजकीय महिला कालेज नागौर को भूमि का आवंटन किया गया था, इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उनका कथन है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन अंगोर होने से उक्त भूमि का आवंटन या नियमन प्रत्यर्थी के हक में नहीं किया जा सकता है। इस कारण उसके हक में जो डिक्री थी वो शून्य प्रभावी थी एवं उसके निरस्त कराने हेतु धारा 232 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेफरेन्स अतिरिक्त कलक्टर, नागौर के समक्ष विचाराधीन था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4440/2004/नागौर सरकार बनाम हनीफ खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 379 की 10बीघा भूमि पर उनके पक्षकार एवं उनके पूर्वज का कब्जा काश्त सम्वत् 2007-08 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के चारो ओर बाड की हुई है। उनका कथन है कि सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-12-1968 से वादी प्रत्यर्थी को उक्त 10बीघा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के आदेश पारित किये। उक्त पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण मण्डल के समक्ष अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-12-2019 से निरस्त किया जा चुका है तथा मूल प्रकरण का निस्तारण हो जाने से वर्तमान अपील का पृथक से निर्णय किये जाने की आवश्यक नहीं है तथा वर्तमान अपील सारहीन हो चुकी है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर द्वारा महिला कॉलेज को आवंटित की गयी भूमि प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि के चिपती हुई है लेकिन उनके पक्षकार को यह अंदेशा है कि मूल खसरा नम्बर 379 का रकबा बहुत बडा होने से अपीलार्थी राज्य सरकार उक्त आवंटन आदेश की आड में प्रत्यर्थी को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर देगे। इसी आंशका के आधार पर उनके पक्षकार की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी की भूमि में दखल करने से जरिये स्थाई व्यादेश से रोके जाने की प्रार्थना की गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4440/2004/नागौर सरकार बनाम हनीफ खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयो एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 379 में से रकबा 10बीघा भूमि बाबत् प्रत्यर्थी के पूर्वज हनीफ खां ने सहायक कलक्टर, नागौर के न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-12-1968 से डिक्री किया जाकर वादी हनीफ खां का खसरा नम्बर 379 में से 10बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया। सहाय कलक्टर, नागौर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु राज्य सरकार की ओर से मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण संख्या 8001/2015 बउनवानी सरकार बनाम वहीदन बानो प्रस्तुत हुआ, जिसे मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित विस्तृत निर्णय दिनांक 17-12-2019 से खारिज किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 14-05-2002 से अन्य आराजी के साथ खसरा नम्बर 379 में से 13बीघा भूमि गैर मुमकिन अंगोर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4440/2004/नागौर सरकार बनाम हनीफ खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत राजकीय महिला कॉलेज, नागौर को निःशुल्क आवंटन किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर आवंटित भूमि उसकी खातेदारी की भूमि से चिपती होने के कारण उसकी खातेदारी की आराजी 10बीघा भूमि बाबत् स्थाई व्यादेश जारी करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19-06-2004 से आंशिक स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी के कब्जे की खसरा नम्बर 379 की 10बीघा भूमि में दखल करने व कराने से जरिये स्थाई व्यादेश से रोका जाता है, का आदेश पारित किया। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 379 का रकबा बहुत बडा अर्थात् 144बीघा 03बिस्वा का था तथा इस खसरा नम्बर 379 में से 10बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी को सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-12-1968 से प्राप्त हुए है। प्रस्तुत प्रकरण में महिला कॉलेज को आवंटित भूमि प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से पृथक चिपती भूमि है, इसी कारण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने महिला कालेज को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश को यथावत रखते हुए प्रत्यर्थी की भूमि बाबत् विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4440/2004/नागौर सरकार बनाम हनीफ खां	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19-06-2004 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	